राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प 5 (58)/आ.कृ/ एमएनओपी/एमएम–III/2016–17 806 - 850 जयपुर दिनांक 09/05/16

1. उप निदेशक कृषि (विस्तार)
   बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/
   हनुमानगढ/टोंक/बांरा/जैसलमेर/झुँझुनू/धौलपुर/अलवर

2. सहायक निदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
   बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/हनुमानगढ/टोंक/
   बांरा/जैसलमेर/झुँझुनू/धौलपुर/अलवर

विषय :– जैतून की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के दिशा–निर्देश एवं लक्ष्यों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में परम्परागत फसलो के साथ साथ फसल विविधिकरण में अन्य व्यवसायिक फसलो के विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। इसमें क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियो में तुलनात्मक रूप से उपयुक्त एवं संभावना वाली बागवानी फसलों को वर्तमान एवं भविष्य में मांग को देखते हुये सघन रूप में बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किये जा रहे है। जिसके तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयम पॉम योजना के तहत वर्ष 2016–17 में राज्य में जैतून की खेती का क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन सहायता/अनुदान प्रावधान के अनुसार दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

सामान्य निर्देशः

1 किसानों को एक ही योजना में लाभान्वित किया जावें।
2 कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिलेवार यथासभंव आंवटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावें। परिशिष्ट –1
3 योजनान्तर्गत कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावें।
4 योजना गतिविधियों के लिए सहायता/अनुदान प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें।
5 योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं की यथासंभव भागीदारी रखी जावें।
6 योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान/ सहायता हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उप निदेशक कृषि (विस्तार)/ उपनिदेशक उद्यान/आर.ओ.सी.एल/ सहायक निदेशक उद्यान/

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सम्बंधित सहायक कृषि अधिकारी /कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।

7 योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव महिला कृषकों को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चितत्ता करावें।

8 योजनान्तर्गत आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होंगे। (संलग्न)

9 योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इसके लिये लाभार्थी को कानून में निर्धारित किये प्रावधान अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10 जिला कार्यालय इस कार्यक्रम की प्रभावी समीक्षा हेतु कृषि अधिकारी/कृषि अनुसंधान अधिकारी स्तर का नोडल आफिसर मनोनीत करेगें।

11 जैतून की खेती की तकनीकी जानकारी हेतु प्रशिक्षण, जिलास्तरीय कैम्प आदि के प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करेगें।

अनुदानः

1 **पौध रोपण पर अनुदान** –बगीचों की स्थापना के लिए पौध रोपण की वास्तविक लागत या अधिकतम राशि रूपये 48000/– प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो का अनुदान देय होगा। इस क्रम में किसानों द्वारा उपयोग में लिये गये पौधों के अतिरिक्त अन्य आदान यथा उर्वरक/जैविक खाद/पौध संरक्षण रसायनों का व्यय की गई राशि का भुगतान रूपये 48000/– प्रति हैक्टर सीमा में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर बिल तथा अपने खाते का विवरण संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) को उपलब्ध करायेगें संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) की सिफारिश के पश्चात अनुदान की राशि का भुगतान आर.ओ.सी.एल. द्वारा किसानों को उनके खाते में हस्तान्तरित किया जावें।

2 एन.एम.ओ.ओ.पी एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसानों द्वारा जैतून के पौधे आर.ओ.सी. एल. के सैन्टर ऑफ एक्सीलेन्स पर स्थापित नर्सरी के माध्यम से प्राप्त/उपलब्ध करवाये जायेंगे।

3 योजनाओं के प्रावधान अनुसार प्रति हैक्टयर अधिकतम राशि रूपये 48000/– से गणना करते हुये अनुदान राशि का अग्रिम भुगतान आर.ओ.सी.एल. को किया जायेगा।

4 पौधों के पेटे अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति को आधार माना जावें। आर.ओ.सी.एल. द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

5 **पौधों के संधारण पर अनुदान (Maintenance of Plantation)** – जैतून के उद्यानो के रखरखाव एवं उर्वरक, पौध सरंक्षण रसायन आदि पर राशि रू0 3,200/– प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से प्रथम चार वर्षो तक अनुदान देय होगा। पौधों के संधारण पर देय अनुदान उप निदेशक कृषि (विस्तार) की सिफारिश पर आर.ओ.सी.एल. द्वारा संबंधित कृषक के बैक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा। आर.ओ.सी.एल. द्वारा पौधों के संधारण हेतु देय अनुदान के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों से पौधो के जीवित होने का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें, इसका प्रारूप संलग्न है।

6 दिशा–निर्देशो के जारी होने के तिथि से पूर्व में यदि किसी कृषक द्वारा अनुदान लिया गया है तो पौधो पर अनुदान में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा लेकिन पौध संरक्षण रसायन एवं उर्वरक पर इस वर्ष दिये जाने वाले अनुदान राशि रू0 3200/– प्रति हे0 की दर से ही देय होगा।

7 **जैतून के साथ अन्तर शस्य क्रियाओं हेतु अनुदान** :– मिनिमिशन –III के अन्तर्गत लगाए गए जैतून से उत्पादन शुरू होने तक (Gestation Period) खाद्य फसलों की अन्तर शस्य रूप में खेती करने हेतु 1000/– रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से महत्वपूर्ण आदानों हेतु के खरीद पर अनुदान देय होगा। जैतून के साथ अन्तर शस्य क्रियाओं हेतु देय अनुदान उप निदेशक कृषि (विस्तार) की सिफारिश पर आर.ओ.सी.एल. द्वारा संबंधित कृषक के बैक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

भौतिक लक्ष्य – लक्ष्यो का निर्धारण निम्न हैः–

परिशिष्ट–1

एनएमओओपी एवं आर.के.वी.वाई. के अन्तर्गत जैतून के पौधरोपण के लिए वर्ष 2016–17 हेतु जिलेवार भौतिक लक्ष्य

क स.	जिला	भौतिक लक्ष्य हे0 में	
		एनएमओओपी	आर.के.वी.वाई
1	श्रीगंगानगर	70	30
2	बीकानेर	100	40
3	नागौर	40	
4	चूरू		40
5	हनुमानगढ	40	
6	टोंक		20
7	बांरा	50	
8	जैसलमेर		30
9	झुझूँनू		20
10	अलवर	0	10
11	धोलपुर	0	10
	योग	**300**	**200**